

 सत्यमेव जयते	केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, गांधीनगर OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE GANDHINAGAR सीमा शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009 दूरभाष Ph. 079-27542608, फ़ैक्स Fax:079-27545021	
---	---	---

स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए डी द्वारा BY SPEED POST / REGD. A.D.

क A	फाईल संख्या File Number	GEXCOM/RTI/APP/314/2021-TECH
ख B	मूल आदेश संख्या Order in Original No..	06/ RTI/2021-22
ग C	पारित करने वाला passed by	श्री बिपीन कुमार शर्मा/Shri Bipin Kumar Sharma, सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, Assistant Commissioner (सू-अधि RTI), केंद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर केंद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर Central GST & Central Excise(H.Q) Gandhinagar
घ D.	आदेश / जारी करने का दिनांक Date of Order/Issue	02.07.2021
ड E	आवेदक का नाम व पता Name & Address of the applicant	श्री यू पी कुलकर्णी, 8/33, तीसरी मंजिल, पारिजात सीएचएस, मेट कॉलेज के सामने, बांद्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई 410050 Shri U P Kulkarni, 8/33, 3rd floor, Parijat CHS, Opp, MET College, Bandra Reclamation, Bandra (West), Mumbai 4 10050

यह मूल आदेश की प्रति संबंधित को निःशुल्क प्रदान की जाती है ।

This Order-in-Original is granted to the concerned free of charge.

यदि कोई व्यक्ति इस मूल आदेश से स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री पदाला मोहन राव, अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क गांधीनगर आयुक्तालय,



Kar-Mitra
@ **9157702006**



Chat with us
@**Live Seva Kendra** on
www.cgstgandhinagar.gov.in

2 री मंजिल, सीमा शुल्क भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 को अपील दाखिल कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Original may file an appeal under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 to: Shri Padala Mohan Rao, Addl. Commissioner, Central GST & Central Excise, Gandhinagar, 2nd floor, 'Custom House', Navrangpura, Ahmedabad – 380009.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के उपबंधों के अनुसरण में इस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 30(तीस) दिनों के भीतर अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

Appeal shall be filed within 30 (thirty) days from the date of receipt of this order in accordance with the provisions of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, before the Appellate Authority.

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश
ORDER UNDER SECTION 7(1) OF THE RIGHT TO INFORMATION
ACT, 2005**

श्री यू पी कुलकर्णी, 8/33, तीसरी मंजिल, पारिजात सीएचएस, मेट कॉलेज के सामने, बांद्रा रिक्लेमेशन बांद्रा (पश्चिम), मुंबई 410050 द्वारा आरटीआई आवेदन मुख्य आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी मुंबई जोन में दाखिल किया गया जिसकी दिनांक 03.04.2021 है।

यह आवेदन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, सीजीएसटी मुंबई जोन से प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय वस्तु सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जी.एस.टी भवन, राजस्व मार्ग, आंबावाड़ी, अहमदाबाद क्षेत्र को पत्र फा. स. जीसीसीओ/आरटीआई/APP/299/12021 दिनांक ---अप्रैल 2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

यह आवेदन पुनः पत्र फ़ासं. GCCO/RTI/APP/363/2021-TECH दिनांक 12.05.2021, सहायक आयुक्त, प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, अहमदाबाद जोन से सहायक आयुक्त (सीपीआईओ), केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, गांधीनगर कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई), 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रेषित किया गया। यह आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 20.05.2021 को प्राप्त हुआ है।

Shri U P Kulkarni, 8/33, 3rd floor, Parijat CHS, Opp. MET College, Bandra Reclamation, Bandra (West), Mumbai 410050 has



filed RTI application dated 03.04.2021 to the office of Chief Commissioner of GST and C.Ex Mumbai Zone.

The said application was transferred vide their letter जीसीसीओ/आरटीआई/APP/299/12021 dated अप्रैल 2021 from the office of the Principal Chief Commissioner of GST and C.Ex Mumbai Zone to the Office of the Principal Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone, GST Bhavan Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad-380015

The application was further forwarded vide letter F.No.GCCO/RTI/APP/363/2021-TECH dated 12.05.2021 of Assistant Commissioner(CPIO), Office of the Principal Chief Commissioner, Ahmedabad Zone to the office of the Central GST & Central Excise, Gandhinagar as per the provision of Section 6(3) of the RTI Act-2005. The said application was received in this office on 20.05.2021.

इस बारे में, मुख्यालय से संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे बताए अनुसार है। In this regards, the required information pertaining to H.Q. office is as under:-

इस आयुक्तालय में ऐसी कोई भी भुगतान विसंगती नहीं हुई है।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
Central Public Information Officer,
केवसेक व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
CGST & Central Excise,
Gandhinagar

सेवामें To,

श्री यू पी कुलकर्णी, 8/33, तीसरी मंजिल, पारिजात सीएचएस,
मेट कॉलेज के सामने, बांद्रा रिकलेमेशन बांद्रा (पश्चिम), मुंबई 410050

प्रतिलिपि:-

1.सहायक आयुक्त एवं केन्द्रीय लोक सूचना का अधिकार,
प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालयके पत्राक फ़ासं.GCCO/RTI/APP/363/2021
दि.12.05.2021 के सन्धर्भ में



Kar-Mitra
@ 9157702006



Chat with us
@Live Seva Kendra on
www.cgstgandhinagar.gov.in

2.सहायक आयुक्त, (प्रणाली अनुभाग) केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड करने के हेतु



Kar-Mitra
@ [9157702006](tel:9157702006)



Chat with us
@[Live Seva Kendra](https://www.facebook.com/LiveSevaKendra) on
www.cgstgandhinagar.gov.in